**भारत सरकार**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1175**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर देने के लिए**

**उत्‍तर प्रदेश में मेगा फूड पार्क**

**1175. श्री अम्‍बेथ राजन:**

**क्‍या खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्‍या यह सच है कि उत्‍तर प्रदेश में एक मेगा फूड पार्क की स्‍थापना हेतु वर्ष 2010 में ही ‘सैद्धान्तिक अनुमोदन’ दिए जाने के बाद भी, यह परियोजना अभी तक शुरू नहीं की गई है;

**(ख)** यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

**(ग)** क्‍या सरकार किसी दूसरे अच्‍छे प्रमोटर को यह परियोजना-कार्य सौंपने हेतु आगे आएगी?

**उत्‍तर**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग राज्‍य मंत्री (डॉ. चरण दास महन्‍त)**

**(क) और** **(ख):** मैसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्रा.लि., एसपीवीको 24.09.2010 को ‘सैद्धान्तिक’ अनुमोदन दिया गया था । परन्‍तु परियोजना के कार्यान्‍वयन हेतु ‘अंतिम अनुमोदन’ देने के लिए मूलभूत शर्तों में से एक अर्थात एसपीवी के नाम से भूमि के कब्‍जे की शर्त उन्‍होंने अभी तक पूरी नहीं की है ।

**(ग):** ‘अंतिम अनुमोदन’ प्राप्‍त करने के लिए शर्त को पूरा करने हेतुमैसर्स शक्तिमानमेगा फूड पार्क प्रा.लि. को 30.06.2013 तक का समय विस्‍तार दिया गया था । फिर भी, एसपीवी ने शर्त को पूरा करने के लिए 30.09.2013 तक के और समय विस्‍तार का अनुरोध किया है ।

**----**